

एम.पी.स्टेट ट्रूरिज्म डेव्हलपमेंट कार्पोरेशन लिमिटेड
प्रशासन प्रभाग
पर्यटन भवन, भद्रभदा रोड, भोपाल

क्रमांक / स्था / प्रशा / पविनि / 16

भोपाल, दिनांक / 02 / 2016

प्रति,

समस्त शाखा प्रमुख,
निगम मुख्यालय भोपाल
समस्त क्षेत्रीय प्रबंधक
क्षेत्रीय कार्यालय.....
समस्त प्रभारी
मार्केटिंग कार्यालय,
समस्त प्रबंधक / प्रभारी प्रबंधक होटल / मोटल,
समस्त प्रभारी सुचना केन्द्र,
समस्त प्रभारी बोट क्लब,
म.प्र. राज्य पर्यटन विकास निगम

विषय – सरकारी कामकाज एवं पत्र व्यवहार में हिन्दी का अनिवार्य प्रयोग।

संदर्भ – समान्य प्रशासन विभाग का पत्र क्र.एफ 11-38/2015/1/9 दिनांक 11.01.16
एवं पत्र क्रमांक एफ 11-38/2015/1/9 दिनांक 11.01.16

कृपया उपरोक्त संदर्भित पत्रों को अवलोकन करना चाहेंगे। म.प्र. राज्य शासन के निर्देशितानुसार म.प्र. राज्य पर्यटन विकास निगम में भी हिन्दी भाषा की अनिवार्यता को लागू किया जाता है राज्य शासन के उपरोक्त दोनों पत्रों की छायाप्रति संलग्न भेज कर निर्देशित किया जाता है कि राज्य शासन के दिशा निर्देशों का कड़ाई से पालन किया जाना सुनिश्चित करें।


संलग्न :—उपरोक्तानुसार।

पृ.क. 1409 स्था / प्रशा / पविनि / 16

महाप्रबंधक (प्रशासन)
भोपाल, दिनांक 2 / 02 / 2016

प्रतिलिपि :— समस्त की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. निज सचिव, प्रबंध संचालक महोदय, निगम मुख्यालय भोपाल।
2. निज सचिव, अपर प्रबंध संचालक महोदय, निगम मुख्यालय भोपाल।
3. अवर सचिव, मध्यप्रदेश शासन, पर्यटन विभाग, मंत्रालय भोपाल – पत्र क्र. 136 दिनांक 23.01.2016 के संदर्भ में सूचनार्थ।
4. श्री प्रसन्न जगदले, प्रबंधक आई.टी. निगम मुख्यालय भोपाल की ओर भेजकर लेख है कि निगम की बेवसाइट पर पत्र अपलोड करें।


1-2-16
महाप्रबंधक (प्रशासन)

30 JAN 2016

409

Paryatan Bhavan,

मध्य प्रदेश शासन
पर्यटन विभाग
मंत्रालय

क्रमांक 136 / 731/2015/तैतीस

भोपाल, दिनांक 23.01.2016

प्रति,

1. आयुक्त,
पर्यटन कार्यालय,
भोपाल।

2. प्रबंध संचालक,
म.प्र. राज्य पर्यटन विकास निगम,
भोपाल।

विषय:- सरकारी कामकाज एवं पत्र व्यवहार में हिन्दी का अनिवार्य प्रयोग।

--0--

1998
उपरोक्त विषय में सामान्य प्रशासन विभाग से प्राप्त पत्र क्र.11-38/2015
/1/9, दिनांक 11.01.2016 एवं दिनांक 11.01.2016 की छायाप्रति आवश्यक कार्यवाही
हेतु संलग्न प्रेषित है।

संलग्न:-उपरोक्तानुसार

Bhal
(पद्मरेखी ढोले)

अवर सचिव,
मध्य प्रदेश शासन, पर्यटन विभाग

25 JAN 2016

कृति
१.१६
संभाषण

R-12

सामान्य प्रशासन विभाग

20-1-16

मंत्रालय, भोपाल

क्रमांक एफ 11-38/2015/1/9

भोपाल, दिनांक 11/01/2016

प्रति,

अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव,
मध्यप्रदेश शासन
शासन के समस्त विभाग
समस्त विभागाध्यक्ष
समस्त संभागायुक्त/कलेक्टर्स,
समस्त मुख्यकार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत, म.प्र.

123

20/1/2016

विषय- सरकारी कामकाज एवं पत्र व्यवहार में हिन्दी का अनिवार्य प्रयोग।

संदर्भ- सामान्य प्रशासन विभाग का पत्र क्रमांक एम-19-21/(1990)/1/4 भोपाल दिनांक 9-4-1990

50
घुड़ी
१९८६

कृपया संदर्भित पत्र का अबलोकन करने का कष्ट करें। सरकारी वार्यात्मयों, अर्धशासकीय निकायों, उपक्रमों तथा निगमों में तकनीकी और गैर-तकनीकी सभी प्रकार का सरकारी कामकाज अनिवार्य रूप से हिन्दी में ही किये जाने के स्पष्ट और सख्त निर्देश हैं। उन्हें अनेक बार दोहराया भी जा चुका है। केन्द्र तथा अन्य राज्यों से भी पत्र-व्यवहार संवैधानिक व्यवस्था के अनुसार निर्दिष्ट भाषा में ही किये जाने चाहिए। इसमें कोई विकल्प नहीं है।

2. राज्य शासन का ध्यान इस ओर आकर्षित किया गया है कि वैधानिक व्यवस्था तथा शासन के स्पष्ट और बारम्बार निर्देशों के बावजूद अंग्रेजी का उपयोग करने के प्रलोभन से बचा नहीं जा रहा है। यह देखने में आ रहा है कि कुछ विभाग, निवम, उपक्रम और अर्धशासकीय संस्थान अभी भी तकनीकी विषयों का बहाना लेकर अपने दैनिक सरकारी कामकाज, पत्र-व्यवहार, निमंत्रण-पत्र, नामपट्ट, सूचनाएं, समाचार-पत्रों में निविदाएं, विज्ञप्तियां आदि के प्रकाशन तथा केन्द्र और अन्य राज्यों से सम्पर्क में अंग्रेजी का उपयोग करते हैं।

3. अतः निर्देशित किया जाता समस्त शासकीय कार्य, पत्र-व्यवहार अनिवार्यतः राजभाषा हिन्दी में ही किया जाए। केन्द्र शासन को भेजे जाने वाले पत्रों के साथ उसका अंग्रेजी अनुवाद भी सलग्न कर दिया जाए और अन्य राज्यों से पत्र व्यवहार संवैधानिक व्यवस्था के अनुसार ही किया जाए। अपने विभाग में हिन्दी में काम हो रहा है या नहीं, यह देखने का उत्तरदायित्व सचिव, विभागाध्यक्ष और निगमों के प्रमुख कार्यपालिक अधिकारी का होगा।

4. राज्य शासन के द्वारा यह भी स्पष्ट निर्देश दिये जाते हैं कि सभी विभाग, संचालनालय, निगम, उपक्रम या अर्धशासकीय संस्थान में कोई भी कार्रवाई अंग्रेजी ने होती पाई जाती है तो उसे शासन के आदेशों की गंभीर अवहेलना तथा कदाचरण मरना जाएगा और संबंधित अधिकारी के विरुद्ध सख्त अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी।
उपरोक्त आदेश का पालन तत्काल प्रभाव से सुनिश्चित किया जाए।

(एम. के. वार्ष्णेय)

प्रमुख सचिव
मध्यप्रदेश शासन
सामान्य प्रशासन विभाग
भोपाल, दिनांक 1/01/2016

पृ. क्र० F/1 = 36/2015/1/9

प्रतिलिपि-

1. राज्यपाल के सचिव, राजभूवन, भोपाल।
2. अध्यक्ष, राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश गवालियर।
3. प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश विधान सभा भोपाल।
4. रजिस्टर जनरल, उच्च न्यायालय, म.प्र.जबलपुर।
5. सचिव, लोकायुक्त, म.प्र. भोपाल।
6. सचिव, म.प्र. लोक सेवा आयोग, म.प्र.इन्दौर।
7. विशेष सहायक/निज सचिव, मा. मुख्यमंत्री, मंत्री, राज्यमंत्री, मध्यप्रदेश शासन।
8. मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, मध्यप्रदेश भोपाल।
9. सचिव, राज्य निर्वाचन आयोग/राज्य सूचना आयोग, मध्यप्रदेश भोपाल।
10. महाधिकर्ता/उपमहाधिकर्ता/अधिकर्ता, म.प्र.जबलपुर/इन्दौर/गवालियर।
11. महालेखाकार, म.प्र. गवालियर/भोपाल।
12. अध्यक्ष, व्यावसायिक परीक्षा मण्डल/माध्यमिक शिक्षा मण्डल, म.प्र. भोपाल।
13. प्रमुख सचिव/सचिव, मुख्यमंत्री कार्यालय, मंत्रालय, भोपाल।
14. प्रमुख सचिव(समन्वय)मुख्य सचिव कार्यालय, मंत्रालय, भोपाल।
15. प्रमुख सचिव/सचिव/उप सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग, भोपाल।
16. आयुक्त, जनसम्पर्क संचालनालय, म.प्र.भोपाल।
17. समस्त शासकीय/अर्धशासकीय निकाय, निगम, परिषदें, अकादमियां (म.प्र.)
18. अवर सचिव, साप्रवि, स्थापना/अधीक्षण/अभिलेख/मुख्य लेखाधिकारी, म.प्र.भोपाल। 19. अध्यक्ष, मध्यप्रदेश राज्य कर्मचारी कल्याण समिति, भोपाल।
20. अध्यक्ष, शासन के समस्त मान्यता प्राप्त कर्मचारी संगठन/संघों, की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाही हेतु अगोषित।

उप सचिव

मध्यप्रदेश शासन
सामान्य प्रशासन विभाग

संचालन विभाग

हस्तांक एफ 11-38/2015/1/9

भोपाल, दिनांक //01/2016

प्राप्ति,

R PZ

अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव, 20-09-15

मध्यप्रदेश शासन

क्रमांक - 122 //2016
दिनांक 20/09/2016

शासन के समस्त विभाग

समस्त विभागाध्यक्ष

समस्त संभागायुक्त/कलेक्टर्स,

समस्त मुख्यकार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत, म.प्र.

विषय- माननीय मुख्यमंत्रीजी द्वारा दिनांक 12.09.2015 को 10वें विश्व हिन्दी

सम्मेलन के समापन अवसर पर दिये गये निर्देशों के क्रियान्वयन बाबत।

माननीय मुख्यमंत्रीजी द्वारा भोपाल में 12 सितम्बर 2015 को 10वें विश्व हिन्दी सम्मेलन के समापन अवसर पर दिये गये निर्देशों के अनुरूप में राज्य शासन द्वारा निर्णय लिया गया है कि --

(1) किसी अधिकारी/कर्मचारी को किसी प्रकार की शास्ति इस आधार पर नहीं हो सकेगी कि उसे अंग्रेजी नहीं आती। हिन्दी में काम करने के परिणाम स्वरूप यदि किसी को प्रताड़ना अथवा हतोत्साहित किया जाता है तो इस पर सख्ती से प्रतिबंध लगाया जाए।

(2) राज्य द्वारा आयोजित की जाने वाली प्रतियोगी परीक्षाओं का माध्यम हिन्दी रखा जाए।

(3) राज्य शासन के द्वारा यह भी स्पष्ट निर्देश दिये जाते हैं कि सभी विभाग, सचालनालय, निगम, उपक्रम या अर्धशासकीय संस्थान में कोई भी कार्रवाई अंग्रेजी में होती पाई जाती है तो उसे शासन के आदेशों की गंभीर अवहेलना तथा कदाचरण माना जाएगा और संबंधित अधिकारी के विरुद्ध सख्त अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी।

उपरोक्त आदेश का पालन तत्काल प्रभाव से सुनिश्चित किया जाए।

(ठाई)

(एम. क. वार्ष्ण्य)

प्रमुख सचिव

मध्यप्रदेश शासन

सामान्य प्रशासन विभाग


50
Bhuk
19-1-16

पृ. क्र० F/1/-38/2015/1/9

भोपाल, दिनांक 11/01/2016

प्रतिलिपि-

- 1.राज्यपाल के सचिव, राजभवन, भोपाल ।
- 2.अध्यक्ष, राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश गवालियर ।
- 3.प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश, विधान सभा भोपाल ।
- 4.रजिस्टर जनरल, उच्च न्यायालय, म.प्र.जबलपुर ।
- 5.सचिव, लोकायुक्त, म.प्र. भोपाल ।
- 6.सचिव, म.प्र. लोक सेवा आयोग, म.प्र.इन्दौर ।
- 7.विशेष सहायक/निज सचिव, मा. मुख्यमंत्री, मंत्री, राज्यमंत्री, मध्यप्रदेश शासन।
- 8.मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, मध्यप्रदेश भोपाल ।
- 9.सचिव, राज्य निर्वाचन आयोग/राज्य सूचना आयोग, मध्यप्रदेश भोपाल ।
- 10.महाधिवक्ता/उपमहाधिवक्ता/अधिवक्ता, म.प्र.जबलपुर/इन्दौर/गवालियर।
- 11.महालेखाकार, म.प्र. गवालियर/भोपाल ।
- 12.अध्यक्ष, व्यावसायिक परीक्षा मण्डल/माध्यमिक शिक्षा मण्डल, म.प्र. भोपाल।
- 13.प्रमुख सचिव/सचिव, मुख्यमंत्री कार्यालय, मंत्रालय, भोपाल ।
- 14.प्रमुख सचिव(समन्वय)मुख्य सचिव कार्यालय, मंत्रालय, भोपाल ।
- 15.प्रमुख सचिव/सचिव/उप सचिव, सामाज्य प्रशासन विभाग, भोपाल ।
- 16.आयुक्त, जनसम्पर्क संचालनालय, म.प्र.भोपाल ।
- 17.समस्त शासकीय/अर्धशासकीय निकाय, निगम, परिषदें, अकादमियां (म.प्र.)
- 18.अवर सचिव, साप्रवि, स्थापना/अधीक्षण/अभिलेख/मुख्य लेखाधिकारी, म.प्र.भोपाल।
- 19.अध्यक्ष, मध्यप्रदेश राज्य कर्मचारी कल्याण समिति, भोपाल ।
- 20.अध्यक्ष, शासन के समस्त मान्यता प्राप्त कर्मचारी संगठन/संघों, की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अगेषित ।



उप सचिव

मध्यप्रदेश शासन
सामाज्य प्रशासन विभाग